

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में,

सभी डी0डी0ओ0, श्रम विभाग,
हरियाणा राज्य।

क्रमांक: स्था0/02/2024/1558-1610

दिनांक: 12/01/24

विषय : ऑन लाईन स्थानान्तरण नीति के तहत सर्विस वैरीफिकेशन करवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 244 दिनांक 04.01.2024 के संदर्भ में।

विषय संबंध में आपको सूचित किया गया था कि कार्यालय द्वारा श्रम निरीक्षकों की स्थानान्तरण नीति तैयार कर दी गई है। सभी श्रम निरीक्षकों की दिनांक 30.11.2023 तक सर्विस वैरीफिकेशन की जानी है। जिस पर आपसे अनुरोध किया गया था कि आप अपने अधीन कार्यरत सभी श्रम निरीक्षकों की सर्विस वैरीफिकेशन करके सूचना मुख्यालय को 2 दिन के अन्दर-2 सूचित करें, परन्तु एच0आर0एम0एस0 पोर्टल पर आज दिनांक 12.01.2024 तक भी सर्विस वैरीफिकेशन सम्बंधित कार्य पूर्ण नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत सभी श्रम निरीक्षकों की पूर्ण सर्विस वैरीफिकेशन आज दिनांक 12.01.2024 को सांय 5.00 बजे तक पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा मामले में देरी के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सहायक श्रम आयुक्त (मु0)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।